भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2409

03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्रति बूंद अधिक फसल - पीएमकेएसवाई

2409. श्री नरेन्द्र कुमार:

श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक के तहत समर्थित क्रिया-कलापों की विशेषताएं और लाभ क्या हैं और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के लिए उपलब्ध सहायता की पद्धति क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) का प्रति बूंद अधिक फसल घटक सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। पीएमकेएसवाई- पीडीएमसी योजना के तहत समर्थित गतिविधियाँ ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा, यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण में सहायता करने हेतु सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण, जल संचयन/प्रबंधन गतिविधियों में भी सहायता करती है।

सूक्ष्म सिंचाई, पानी की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन के माध्यम से कम उर्वरक उपयोग, मजदूरी संबंधी खर्च, अन्य आदान लागत और किसानों की समग्र आय में वृद्धि आदि में मदद करती है।

इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कुछ राज्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन/टॉपअप राजसहायता प्रदान करते हैं। इस योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है कि आवंटन का कम से कम 50% छोटे, सीमांत किसानों के लिए उपयोग किया जाना है।

(घ): पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी योजना के तहत किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए राजसहायता की गणना में 25% अधिक यूनिट लागत और कम कवरेज वाले राज्यों के लिए 15% अधिक यूनिट लागत को लिया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज बढ़ाने के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ 5000 करोड़ रूपए के कॉर्पस से सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) सृजित किया गया है। राज्य, एमआईएफ का उपयोग विशेष एवं नवाचारी परियोजनाओं हेतु साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हेतु किसानों को पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत उपलब्ध प्रावधानों के अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु भी कर सकते है। देश में किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के अंगीकरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने और विस्तारित करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा और अन्य 5000 करोड़ रूपए की राशि बढ़ाकर एमआईएफ के प्रारंभिक कॉर्पस को दुगुना करने की बजट घोषणा की गई है।

किसानों को प्रेस और प्रिंट मीडिया, लीफलेटों/बुकलेटों के प्रकाशन, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, किसान मेलों के आयोजन, राज्य/भारत सरकार के वेब पोर्टलों पर जानकारी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार के जरिए पीडीएमसी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, सिंचाई जल प्रबंधन अनुसंधान के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा जल परिसंघ प्लेटफार्म के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई सहित जल के विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित मुद्दों का समाधान कर रहा है।

*****